



# दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

## आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, रविवार 05 नवंबर 2023

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 40

### महत्वपूर्ण एवं खास

तीन साल के बच्चे को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया, बंगलुरु

**अस्पताल पर एफआईआर दर्ज बंगलुरु (आरएनएस)।** कर्नाटक पुलिस ने तीन साल के बच्चे को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संजीविनी अस्पताल के खिलाफ महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना के लिए माफी मांगी है और कर्मचारियों को निर्लंबित कर दिया गया है। तेज बुधवार से पीड़ित यादवी को 29 अक्टूबर को अस्पताल ले जाया गया। ब्लूकोज ड्रिप के जरिए इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के होंठ सूज गए और खून बहने लगा। बाद में बच्चे के माता-पिता को पता चला कि लगाया गया इंजेक्शन एक्सपायर्ड हो गया है। माता-पिता ने बच्चे को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया और इस संबंध में महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

**दवा निर्माता कंपनी में भीषण विस्फोट, चार से अधिक लोगों की मौत; कई मलबे में दबे**

**रायगढ़ (आरएनएस)।** महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के महाड एमआईडीसी में एक दवा निर्माता कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लू जेट हेल्थकेयर में भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में चार लोगों की मौत हुई है। इन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम सबसे अंत में वहां पहुंची। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय कंपनी में मौजूद 11 लोगों का कुछ पता नहीं चला है।

**बागपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री का**

**भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार बागपत (आरएनएस)।** यूपी के बागपत जिले की बालैनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 205 किलोग्राम 10 प्लास्टिक के छोटे-बड़े कट्टे में अवैध बने और अधबने पटाखों को जब्त कर दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान मोइन और नौशाद के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बागपत जिले के दत्तनगर गांव के रहने वाले हैं। दीपावली के आने से पहले ही पटाखों की तस्करी और उनको अवैध तरीके से बनाने का काम शुरू हो चुका है। बागपत पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी सख्ती बरतती दिखाई दे रही है। थाना बालैनी पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों से पता चला है कि वह अवैध रूप से पटाखे बनाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अब दीपावली त्योहार आदि पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे बना रहे थे। आरोपी के पास से पटाखा बनाने के सामान भी जब्त हुए हैं।

**मियावाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आतंकी हमला, सैनिकों ने मार गिराए 9 आतंकी**

**इस्लामाबाद।** मियावाली में पाकिस्तान वायु सेना (पीएफ) के ट्रेनिंग बेस पर हथियारों से लैस आतंकी घुस गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमले को नाकाम कर दिया और 9 आतंकियों को मार गिराया। एक अपडेट में इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने पुष्टि की कि पीएफ ट्रेनिंग एयरबेस मियावाली में तलाशी और निकासी अभियान समाप्त हो गया है। सभी नौ आतंकवादियों को जहनूम भेज दिया गया है। यह ऑपरेशन शनिवार सुबह बेस पर हुए कायरतापूर्ण और असफल आतंकवादी हमले के बाद आसपास के क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। आईएसपीआर ने आगे कहा कि पीएफ की किसी भी कार्यात्मक परिचालन संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हमले के दौरान पहले से ही चरणबद्ध तरीके से बाहर किए गए तीन गैर-परिचालन विमानों को केवल कुछ नुकसान हुआ। पहले के एक बयान में आईएसपीआर ने कहा था कि हमले के दौरान पहले से ही जर्मनी पर खड़े तीन विमानों को भी कुछ नुकसान हुआ था और एक व्यापक संयुक्त निकासी और तलाशी अभियान शुरू किया था। इस बीच मीडिया को दिए एक बयान में, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से संबद्ध एक नए उभरे आतंकवादी समूह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टीजेपी) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

## नेपाल में विनाशकारी भूकंप ने बरपाया कहर, 128 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

**काठमांडू।** पश्चिमी नेपाल में बीती देर रात आए 6.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से अब तक 128 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार नेपाल में भूकंप के तेज झटके कल रात 11 बजकर 47 मिनट पर महसूस किए गए जिसका केंद्र जजरकोट जिला था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गयी।



राहत के लिए सभी तीन सुरक्षा निकायों के तैनात किया है।

जाजरकोट जिला पुलिस उपाधीक्षक संतोष रोका ने कहा शनिवार तड़के तीन बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, अकेले जाजरकोट में 92 लोगों की मौत हुई है और 55 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। उनमें से पांच को सुरक्षित के कर्णाली प्रांत अस्पताल ले

जाया गया है, जबकि अन्य का जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में इलाज चल रहा है। श्री रोका ने बताया कि मृतकों में नलगाढ़ नगर पालिका की उपमहापौर सरिता सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा बरेकोट ग्रामीण नगर पालिका के जिले के रमौडांडा में 44 लोगों की मौत हो गयी और अन्य 70 घायल हुए हैं। इसी तरह प्रारंभिक आंकड़ों के

मुताबिक पश्चिमी रुकुम में मरने वालों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। पश्चिमी रुकुम जिले के पुलिस उपाधीक्षक नमराज भट्टराई ने मृतकों की संख्या में जानकारी दी है। आर्थबिस्कोट नगर पालिका में 36 लोगों के मरने की सूचना है और सानीभेरी ग्रामीण नगर पालिका में आठ और लोगों की मौत हुई है। मुख्य जिला अधिकारी सुरेश सुनार ने कहा कि भूकंप से जाजरकोट और चेदागढ़ बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिले के सभी सुरक्षा बलों को खोज और बचाव कार्य में लगाया गया है।

इससे पहले 22 अक्टूबर को सुबह सात बजकर 39 मिनट पर काठमांडू घाटी और असपास के जिलों में भूकंप के तेज झटके लगे थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 तीव्रता मापी गयी थी, लेकिन क्षति या हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं थी। आपदा के बाद के आकलन (पीडीएनए) रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल दुनिया का 11वां सबसे अधिक भूकंप-प्रवण देश है।

## कर्नाटक में पर्यटक बस के खाई में गिरने से महिला की मौत, पांच घायल

**चिक्कमंगलुरु**

**(आरएनएस)।** कर्नाटक के इस जिले में शनिवार तड़के एक पर्यटक बस के जंगल की खाई में गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस के अनुसार, यह घटना मुद्गिर तालुक के गोनिबिदु पुलिस स्टेशन की सीमा में चीकनहल्ली ब्रॉस के पास हुई, जब एक मोड़ पर चलते समय चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया।

घायलों को हसन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतका की पहचान बैंगलुरु के येलहंका की सुरेखा (45) के रूप में हुई है। बस में कुल 48 पर्यटक यात्रा कर रहे थे, जो



हिंदू तीर्थस्थल होरानाडु जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खतरनाक हिस्से पर अवरोध की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने आखें मूंद ली हैं।

## सीएम भगवंत मान का सख्त आदेश, सरकारी अफसर को पराली जलाने के लिए मजबूर करने वाली भीड़ पर दर्ज होगी एफआईआर

**चंडीगढ़**

**(आरएनएस)।** एक वीडियो में भीड़ की तरफ से सरकारी कर्मचारी को पराली जलाने के लिए मजबूर करने की घटना का गंभीर नोटिस लेते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इस घृणित जुर्म को अंजाम देने वालों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के हुक्म दिए हैं। एक बयान में मुख्यमंत्री ने इस घटना की सख्त निंदा करते हुए इसको राज्य के लोगों के खिलाफ अमानवीय काम बताया। गुरुवारी की तुक 'पवन गुरु पानी पिता माता धरती महतु का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महान गुरु साहिबान ने हवा (पवन)

को गुरु, पानी (पानी) को पिता और ज़मीन ( धरती) को माता का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि इस घटना से पता लगता है कि राज्य में लोगों की तरफ से महान गुरुओं के संदेश का सम्मान नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस घिनौनी घटना के का संदेश लेकर गया था परन्तु वहां जुड़ी भीड़ ने अधिकारी के हाथ में माचिस की डिबिया पकड़ा कर पराली को आग लगाने के लिए मजबूर किया जिसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी बुजदिली वाली कार्यवाही को अंजाम देकर यह लोग अपने ही बच्चों का जीवन



बाबंद करने के रास्ते पर चले हुए हैं क्योंकि इनहीं खेतों का धुआं बच्चों का दम घोटगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल हुल्लड़बाज़ लोगों की शिनाख्त करके केस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना वाली और आपराधिक घटना को किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे असंवेदनशील लोगों को पर्यावरण दूषित करके बच्चों की अनमोल जिन-दमियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं देगी।

## मुंबई के प्रदूषण की चपेट में 78 प्रतिशत परिवारों के एक-एक सदस्य

**मुंबई (आरएनएस)।** देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यहां पांच में से चार परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन से पीड़ित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर पर स्वतः संज्ञान लिया है। एक दिवसीय विश्व कप मैचों के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिविक अथॉरिटी वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती कर रही है और शहर की सभी प्रमुख सड़कों की धुलाई कर रही है। राज्य और राजधानी मुंबई, नागपुर का नारंगी शहर, पुणे की सांस्कृतिक राजधानी, छत्रपति संभाजीनगर का पर्यटन केंद्र या



नासिक में मानसून के अंत और अक्टूबर की शुरुआती सदियों के बाद से वायु प्रदूषण की स्थिति काफी हद तक यही है। प्रदूषण से जैसे ही मुंबई के लोगों का दम घूटना शुरू हुआ, बुध-मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सतर्क हो गया। बीएमसी ने मुंबई में 6,000 से अधिक निर्माण स्थलों को प्रमुख प्रदूषक के रूप में पाया और 20

प्रतिदिन 650 किलोमीटर की सभी प्रमुख सड़कों को पुनर्नीनीकृत पानी से साफ कराना आदि शामिल हैं। 7,000 लोगों के बीच लोकल सर्किल सर्वेक्षण से पता चला कि मुंबई में 78 प्रतिशत परिवारों में एक व्यक्ति वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। 44 प्रतिशत ने आंखों में जलन का अनुभव किया, 85 प्रतिशत ने निर्माण स्थलों को और 62 प्रतिशत ने वाहनों के उत्सर्जन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एएसएमआर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स के विशेषज्ञों ने कहा कि आईक्यू एयर के अनुसार, पिछले सप्ताह दिल्ली भारत में सबसे अधिक प्रदूषित थी, इसके बाद जयपुर, मुंबई और नागपुर सभी अस्वस्थ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में आए, जबकि दिल्ली विश्व में शीर्ष पर और मुंबई छठे स्थान पर रही। वर्तमान में, मुंबई का एक्यूआई 125-169 के आसपास है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के कस्बों में 180, पुणे में 165, नागपुर में 200, छत्रपति संभाजीनगर में 150 और नासिक में 162 के आसपास एक्यूआई था। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य दोषी वाहन

उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि, निर्माण स्थल, अपशिष्ट-जलना, कृषि अवशेष, साथ ही सीमित हवा की गति और भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्रदूषकों का फसना जैसे कुछ प्राकृतिक फैक्टर हैं, जो समस्याओं को बढ़ाते हैं। मुंबई में निर्माण स्थलों पर हालिया कार्रवाई पर, महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने आश्चर्य जताया कि जब महानगरों, तटीय सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं तो वायु प्रदूषण के लिए केवल निजी डेवलपर्स को क्या दोषी ठहराया जा रहा है। सचिन सावंत ने कहा, डेवलपर्स के लिए मुंबई में प्रदूषण फैलाने के लिए कितनी जगह बची है? अगर नागरिक प्रशासन वायु प्रदूषण को रोकने के प्रति

## केरल के कोच्चि में बड़ा हादसा गरुड़ रनवे पर नौसेना हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड से अधिकारी की मौत

**कोच्चि**

**(आरएनएस)।** भारतीय नौसेना के बेस आईएनएस गरुड़ के रनवे पर शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान हुये हादसे में एक चेतक हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड एक नौसेना अधिकारी को लग गया। हादसे में उनके मोर जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2.30 बजे की है।

कोच्चि हार्बर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उड्डे बतया गया है कि हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। हादसा उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर रनवे पर उतर रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें बताया गया है कि रनवे पर मौजूद



एक नौसेना अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि विमान में सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को नौसेना अस्पताल ले जाया गया है। हमारे अधिकारी घटनास्थल पर हैं। और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय नौसेना के अधिकारी इस घटना के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

## महिला आरक्षण, जनगणना प्रावधान रद्द करना मुश्किल : सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली (आरएनएस)।**

उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण को एक बहुत अच्छा कदम बताया है, कहा कि इस कानून में जनगणना की आवश्यकता वाले प्रावधान को रद्द करना 'बहुत मुश्किल' होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। पीठ ने इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उनकी याचिका खारिज नहीं कर रही है, बल्कि लिखित मामले के साथ जोड़ रही है। पीठ ने कहा, यह (महिला आरक्षण) एक कदम उठाया गया है, जो बहुत अच्छा कदम है। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से



पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका लिंबित है और वह 22 नवंबर को इसके साथ ही ठाकुर की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। सिंह ने पीठ से नोटिस जारी करने की गुहार लगाई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर सिंह ने तर्क दिया कि यह समझ में

आता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जनगणना कर आंकड़े संग्रह करने की आवश्यकता है। सिंह ने आगे तर्क दिया कि कानून का वह हिस्सा जिसमें कहा गया है कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, मनमाना है और अदालत को इसे रद्द करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, अदालत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। पीठ ने सिंह से कहा, वह उनके तर्क को समझ गयी है कि (महिला आरक्षण के लिए) जनगणना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले सीटें आरक्षित करनी होंगी और अन्य चीजों कांग्रेस नेता ठाकुर ने 2024 के आम चुनाव से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। महिला आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक पारित होने के कुछ दिनों बाद सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और उनकी सहमति के साथ ही यह कानून में बदल गया है। आधिकारिक तौर पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में जाना जाने वाला यह कानून लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है।